समाहरणालय, मधेपुरा

(शास्त्र शाखा)

-:आदेश:-

आगामी लोक सभा चुनाव- 2014 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त 9 के तहत् सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला के एवं जिले में रह रहे अन्य जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों, शस्त्र दुकाने एवं अनुज्ञप्तियों तथा शस्त्र, गोली (कारतूस) का भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने शस्त्र का भौतिक रूप से सत्यापन संबंधित थानों में निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने अनुमण्डल / प्रखण्डान्तर्गत पड़ने वाले थानों के शस्त्र दुकाने, अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र एवं कारतूसों को थानावार, तिथिवार शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन दिनांक...14/03/14....से......15/03/14..... तक सुनिश्चित करायेंगे। थानाध्यक्ष निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन कराने हेतु सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपने स्तर से सूचित करेंगे। इस हेतु वे व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना भी सुनिश्चित करेंगे तथा इस बात का उल्लेख करेंगे कि निर्धारित तिथि एवं समय पर सत्यापन नहीं करवाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के तहत् अनुज्ञप्ति निलंबित /रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

शस्त्रों का भौतिक सत्यापन उनके द्वारा निर्धारित तिथि को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक की जाएगी एवं उसी दिन संध्या तक विशेष दूत/फैक्स के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी

-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,

मधेपुरा

ज्ञापांक.........68........./श0, मधेपुरा, दिनांक 03-03-2014

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा / अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी अंचल अधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी ओ0पी0अध्यक्ष मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अंचल अधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी ओ0पी0अध्यक्ष शस्त्र /अनुज्ञप्ति एवं गोली (कारतूस) के सत्यापन की सूचना प्रखण्ड /अंचल अवस्थित सभी कार्यालयों भवनों /बस स्टेंड/रेलवे स्टेशनों के सूचना पट्ट पर निश्चित रुप से चिपकायेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

3/03/14

जिला दण्डाधिकारी

-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,

मधेपुरा